

"ब्रिटिश फॉर्ट"

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-73-21 / 2012 / 20-3
प्रति.

भोपाल, दिनांक / / 2012

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत घिरार, नई दिल्ली।

विषय—अशासकीय शिक्षण संस्था ब्रिटिश फॉर्ट फाउन्डेशन जबलपुर म0प्र0 को सीरीज़एस0ई0,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र देने के संबंध में।

-0-

राज्य शासन द्वारा विषयाकृत संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर
संस्था को सीरीज़एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित रूपों पर दिया
जाता है :—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी
संस्था/समिति द्वारा म.ग्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा
समय—समय पर शिक्षा के प्रयोग एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन
किया जायेगा।
- (2) संस्था को प्रदूष कारिणी समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर (म0प्र0)
आधारा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार
प्रिथिवील अन्न शमन यन्हों को जाइश्यक रूप से व्यवस्था होंगी तथा इस संघर्ष
में भारत सरकार द्वारा रीबोर्ड लस्था के रूप में समय—समय पर जारी किए
जाने आते निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

नव्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आवेशानुसार,


PRINCIPAL
BRITISH FORT FOUNDATION
Bhedaghat, Main Road
Jabalpur (M.P.)

(श्री. एस. डावर)

अंगर सचिव

तथ्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

112/1

पूर्वोक्त एफ क्रमांक एफ 73-21/2012/20-3

भोपाल, दिनांक 9/10/2012

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था ब्रिटिश फोर्ट फाउन्डेशन, तेबड़ेभेड़ाधाट रोड, जबलपुर म0प्र0 को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है-

- (i) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (ii) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2- आद्युक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र., ।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर, म0प्र0।
- 4- ऑफिस बुक।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
१०/१०/१३


PRINCIPAL
BRITISH FORT FOUNDATION
Bhedaghata, Main Road
Jabalpur (M.P.)